



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY RECRUITMENT BOARDS

IMPORTANT NOTICE

MALPRACTICES
IN
EXAMINATIONS CONDUCTED BY THE RRBs

1. The Railway Recruitment Board's has time & again brought to the notice of candidates and other stakeholders that anyone found to be disclosing, publishing, reproducing, transmitting, storing or facilitating transmission & storage of test contents in any form of any information therein in whole or part thereof or by any means i.e. verbal or written, electronic or mechanical or taking away the rough papers supplied in the exam centre or found to be in unauthorized possession of test content will be considered as serious misconduct & will be debarred/disqualified from exam.
2. It has come to the notice of the RRBs that some persons are engaged in the aforesaid activities through social media i.e. youtube, twitter, facebook, etc.
3. Disciplinary & Legal action would be taken against such candidates or persons/individuals involved as per rules & such matters would be reported to police, if necessary.

Date : 25/11/2024

Chairpersons
Railway Recruitment Board



भारत सरकार, रेल मंत्रालय

रेलवे भर्ती बोर्ड

महत्वपूर्ण सूचना

रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में कदाचार

1. रेलवे भर्ती बोर्ड ने समय समय पर उम्मीदवारों और अन्य संबंधित पक्षों को सूचित किया है कि जो भी व्यक्ति परीक्षा सामग्री की पूरी या आंशिक जानकारी को किसी भी माध्यम से मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल किसी भी रूप में, सार्वजनिक करने, प्रकाशित करने, पुनः प्रस्तुत करने :, प्रसारित करने, संग्रहीत करने या इसके प्रसारण एवं संग्रहण की सुविधा प्रदान करने में पाया जाएगा या परीक्षा केंद्र में दिए गए किसी भी कागजात को ले जाने या परीक्षा सामग्री के अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए पाया जाएगा, उसे गंभीर कदाचार माना जाएगा और उसे परीक्षा से वंचित/ अयोग्य घोषित किया जाएगा।
2. रेलवे भर्ती बोर्ड को यह ज्ञात हुआ है कि कुछ व्यक्ति सोशल मीडिया यानी यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आदि के माध्यम से उपरोक्त गतिविधियों में संलिप्त हैं।
3. ऐसे उम्मीदवारों या व्यक्तियों / व्यक्तियों के विरुद्ध नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर ऐसे मामलों की पुलिस को रिपोर्ट की जाएगी।

दिनांक : 25/11/2024

अध्यक्ष

रेलवे भर्ती बोर्ड